

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 118]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 अप्रैल 2023—चैत्र 28, शक 1945

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2023

क्र. एफ 6-3-2022-चौवन-1.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 93 के उपरांत क्रमांक 94 पर ट्रांसजेण्डर समुदाय को मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 11(1) के अंतर्गत निम्नानुसार जोड़ा जाता है:—

पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक	जाति/उपजाति/वर्ग/समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)
94	ट्रांसजेण्डर	-	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव.